कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2131 / FP/UK/ROAD/157397/2022 :देहरादूनः दिनांकः 10 मार्च, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद–नैनीताल में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर–दिनेशपुर– मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0–05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेब्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु 16.69 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/54/2022/एफ.सी./1323 दिनांक 03.01.2023।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी की पत्र संख्या–1561/12–1 दिनांक 27.02.2023 **(प्रति संलग्न)** के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण इस हेतु सहमत है।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि पूर्व से ही विभाग के स्वामित्व में है। खतौनी की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
3.	प्रतिपूरक वनीकरणः क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर कुल 33.40 हे0 (दक्षिणी गदगदिया–82 में 27.40 हे0 + पीपलपड़ाव 10 अ में 6.00 हे0) अवनत वन भूमि पीपलपडाव राजि, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए। ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल	क) उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रू0 1,36,26,932.80, एन0पी0वी0 हेतु रू0 2,05,05,167.10 एवं पैनल एन0पी0वी0 हेतु रू0 2,45,718.00 इस प्रकार निर्धारित कुल धनराशि रू0 3,43,77,818.00 (रू0 तीन करोड़ तैतालिस लाख सतहत्तर हजार आठ सौ अट्ठारह मात्र) को RTGS के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक UTR No. SBIN227039157501 दिनांक 08.02.2023 द्वारा कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया है। प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। ख) इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि निर्देशों के अनुसार अनुपालन किया जायेगा।

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
	फाइल, सीए क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया, ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू०एल०एम०पी क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	ग) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में वृक्षारोपण करने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं का अनुपालन किया जायेगा।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रू0 1,36,26,932.80, एन0पी0वी0 हेतु रू0 2,05,05,167.10 एवं पैनल एन0पी0वी0 हेतु रू0 2,45,718.00 इस प्रकार निर्धारित कुल धनराशि रू0 3,43,77,818.00 (रू0 तीन करोड़ तैतालीस लाख सतहत्तर हजार आठ सौ अट्ठारह मात्र) को RTGS के माध्यम से भारतीय स्टैट बैंक UTR No. SBIN227039157501 दिनांक 08.02.2023 द्वारा कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया है। प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
5.	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 16.69 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	(क) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रू0 1,36,26,932.80, एन0पी0वी0 हेतु रू0 2,05,05,167.10 एवं पैनल एन0पी0वी0 हेतु रू0 2,45,718.00 इस प्रकार निर्धारित कुल धनराशि रू0 3,43,77,818.00 (रू0 तीन करोड़ तैंतालिस लाख सतहत्तर हजार आठ सौ अट्ठारह मात्र) को RTGS के माध्यम से भारतीय स्टैट बैंक UTR No. SBIN227039157501 दिनांक 08.02.2023 द्वारां कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया है। प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। (ख) इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शपथपत्र दिया गया है जिसकी प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। संलग्न कर प्रेषित है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 352 trees and 228 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	उक्त विन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त के अनुपालन हेतु सहमत है साथ ही राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शपथपत्र उपलब्ध कराया गया है जिसकी प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
7.	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि शर्त में दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुपालन किया जायेगा। साथ ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में प्रस्तुत किये गये ले-आउट के अतिरिक्त अन्य किसी भी गैरवानिकी कार्य को सम्पादित नहीं किया जायेगा, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध शपथपत्र की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
8.	State Govt. will levy Penal NPV against the area of 1.8495 ha used in violation of Forest (Conservation) Act, 1980 in accordance with the provisions of the guidelines provided under para 1.21 of the Handbook of Forest (conservation) Act, 1980.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रू0 1,36,26,932.80, एन0पी0वी0 हेतु रू0 2,05,05,167.10 एवं पैनल एन0पी0वी0 हेतु रू0 2,45,718.00 इस प्रकार निर्धारित कुल धनराशि रू0 3,43,77,818.00 (रू0 तीन करोड़

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
		तैतालिस लाख सतहत्तर हजार आठ सौ अट्ठारह मात्र) को RTGS के माध्यम से भारतीय स्टैट बैंक UTR No. SBIN227039157501 दिनांक 08.02.2023 द्वारा कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया है। प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
9.	State Govt. will initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India.	इस सम्बन्ध मे इस कार्यालय की पत्र संख्या 1552/12–1 दिनांक 25.02.2023 से प्रकरण अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को संदर्भित किया गया है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है।
10.	State Govt. will conduct an enquiry and submit a report to IRO, Dehradun so that, this office may take penal action as per the provisions of Section 3A and 3B the forest (Conservation) Act, 1980 against the violation of Forest (Conservation) Act, 1980.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था (परियोजना प्रबन्धक, ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉपोरेषन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, परियोजना इकाई–हल्द्वानी) द्वारा पूर्व से निर्मत विषयांकित मोटर मार्ग को तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के टाण्डा रेन्ज एवं भाखड़ा रेन्ज में दो लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया। प्रकरण संज्ञान में आने के उपरान्त तत्काल प्रभाव से काम रूकवाकर कार्यदायी संस्था के विरूध वन अपराध पंजीकृत किये गये। प्रभाग स्तर से भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत कुल 05 वन अपराध पंजीकृत किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:– (i) भाखड़ा रेन्ज के अन्तर्गत कुल 03 वन अपराध पंजीकृत किये गये। वन अपराध सं0 03/भाखड़ा/2022–23 दिनांक 11.06.2022, वन अपराध सं0 04/भा०/2022–23 दि 11.06.2022 एवं वन अपराध सं0 05/भा०/2022–23 दिनांक 11.06.2022। (ii) टाण्डा रेन्ज के अन्तर्गत कुल 02 वन अपराध पंजीकृत किये गये। वन अपराध सं0 06/टाण्डा/2022–23 दिनांक 13.06.2022 एवं वन अपराध सं0 07/टाण्डा/2022–23 दि 14.06.2022। उक्त पंजीकृत वन अपराधों के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा कुल 1.8495 है0 वन भूमि में मिट्टी खोद दी गयी तथा किसी भी वृक्ष का पातन एवं शाख तराशी नहीं की गयी। उक्त प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा श्री तपन सरकार, उप वन क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी को नामित कर अग्रिम जाँच करायी गयी। श्री तपन सरकार, उप वन क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी की जाँच अनुसार उक्त वन अपराधों में दर्ज कराये गये तथ्य सही पाये गये है तथा कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है, कि उक्त भूमि की वैधानिक स्थिति का ज्ञान न होने के कारण कार्य आरम्भ किया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा अपना वन अपराध स्वीकार करते हुए अपने पत्र सं0 1343/ब्रिडकुल/विविध /2022 दिनांक 12.09.2022 से जुर्माना धनराशि जमा करने हेतु सहमति व्यक्त की गयी है। उक्त में प्रकरण में जाँच अधिकारी की जाँच रिपोर्ट एवं समस्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रभागीय कार्यालय द्वारा अपने पत्रांक 727 शि0/12–1 दिनांक 08.10.2022 से समस्त पंजीकृत वन अपराधों के सापेक्ष जुर्माने की धनराशि रू0 2,45,718.00 तय की गयी है। जिसके क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा अपने पत्रांक 204/ब्रिडकुल/429/2023 दिनांक 08.12.2023 के

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
		माध्यम से अवगत कराया है कि जुर्माने की [illegible] RTGS के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक UTR SBIN227039157501 दिनांक 08.02.2023 द्वारा [illegible] कोष में जमा कर दी गयी है।
11.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित जमा किए जाएंगे।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रू0 1,36,26,932.80, एन0पी0वी0 हेतु रू0 2,05,06,167.10 एवं पैनल एन0पी0वी0 हेतु रू0 2,45,718.00 इस प्रकार निर्धारित कुल धनराशि रू0 3,43,77,818.00 (रू0 तीन करोड़ तैतालिस लाख सतहत्तर हजार आठ सौ अट्ठारह मात्र) को RTGS के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक UTR No. SBIN227039157501 दिनांक 08.02.2023 द्वारा कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया है।
12.	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण इस हेतु सहमत है।
13.	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि शर्त में दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुपालन किया जायेगा।
14.	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि शर्त में दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुपालन किया जायेगा।
15.	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि शर्त में दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुपालन किया जायेगा।
16.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण इस हेतु सहमत है।
17.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण इस हेतु सहमत है।
18.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण इस हेतु सहमत है।
19.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण इस हेतु सहमत है।
20.	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearings अंकित हो।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा पर आर.सी.सी पिलर्स द्वारा सीमांकन में लगने हुए व्यय को देने हेतु सहमत है, प्रयोक्ता अभिकरण का शपथपत्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
21.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण इस हेतु सहमत है।
22.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण इस हेतु सहमत है।

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
	हेतु नहीं किया जाएगा।	
23.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण इस हेतु सहमत है।
24.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण इस हेतु सहमत है।
25.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण इस हेतु सहमत है।
26.	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रयोजना में किसी भी प्रकार के मलवे का उत्सर्जन नहीं होगा, के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है
27.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/निमय/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण इस हेतु सहमत है।
28.	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण इस हेतु सहमत है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या–2131 / FP/UK/ROAD/157397/2022 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी की पत्र संख्या–1561/12–1 दिनांक 27.09.2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

21/3/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,